न्दीय विद्यालय संगठन

<u>స్టోన్ మి విద్యాలయ సంಘಟన್, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, Kendriya Vidyalaya Sangathan</u> ವಲಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತ ಸಂಸ್ಥೆ, शिक्षा एवं प्रशिक्षण आंचलिक संस्थान, Zonal Institute of Education and Training <u>ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರ, ಮೈಸೂರು, सिद्धार्थ नगर, मैसुर, Siddharthanagar, Mysore-570 011</u> <u>ದೂರವಾಣಿ/ फ्रोन/Phone: 0821/2470345(Dir)/2478578(O)</u> ಇ–ಮೇಲ್/ ई-मेल/E-mail: <u>ziet.mysore@kvs.gov.in</u>, <u>kvszietmysore@gmail.com</u>, ಜಾಲ ತಾಣ /वेबसाइट/Web Site: <u>https://zietmysore.kvs.gov.in</u>

दिनांक: 01.11.2023

(H) No.34029/1/23-24/KVS/ZIET/MYS/ICC/1063 -1070

आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) के पत्र क्रमांक एफ, 11-55/2000-केवीएस(सतर्कता)/पीटीआई/1122-25 दिनांक 05.03.2019 के अनुपालन में और पिछले आदेश (यदि कोई मौजूद है) के दमन में, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के अध्याय II धारा (4) खंड (2), आंतरिक शिकायत है) के दमन में, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के अध्याय II धारा (4) खंड (2), आंतरिक शिकायत समिति (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों के संदर्भ में, यौन उत्पीड़न के कारण पीड़ित महिला कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए KVS, ZIET, मैसूर में निम्नलिखित सदस्यों की एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है।

क्र	नामपद्धति	मनोनीत सदस्य का नाम	समिति का क्षेत्राधिकार
प्र सं 1	प्रिसाइडिंग	श्रीमती हेमा के, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय	जीट के अनुभाग अधिकारी स्तर
	ऑफिसर	विद्यालय संगठन, बेंगलुरु	तक के अधिकारियों के खिलाफ
2	एन जी ओ	श्रीमती लता बी, प्राचार्या, जेएसएस पब्लिक	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की
	सदस्य	स्कूल, सिद्धार्थ लेआउट, मैसूर।	शिकायत की जांच करना।
3	सदस्य	श्री. मिथिलेश कुमार, प्राचार्या , के.वी.,	
		BRBNMPL, मैसूर।	
4	सदस्य	श्रीमती. रेमा रेना, टीए (अर्थशास्त्र),	
		केवीएस, जीट मैसूर।	

उपरोक्त समिति के सदस्य पूर्व आदेश के जारी होने की तिथि दिनांक 01.11.2023 से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेंगे। समिति के अध्यक्ष का दायित्व है कि :-

 गैर सरकारी संगठन के सदस्य, अन्य सदस्यों और संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों के साथ समन्वय कर जांच करने की तिथि और समय निर्धारित करें।

2. गैर सरकारी संगठन के सदस्य के साथ समन्वय करें और यात्रा कार्यक्रम की योजना सुगम बनाएं।

3. दिनांक 13.08.1997 को विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के मामले में तथा दिनांक 26.04.2004 को मेधा कोतवाल लाले और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में निहित दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए जांच करें ।

4. महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीइन के मामलों की जांच करते समय एक गैर सरकारी संगठन का सदस्य अनिवार्य रूप से हो ।

5. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया और समय-सीमा का पालन करते हुए हो और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार हो ।

6. शिकायत प्राप्त होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर सहायक दस्तावेज सहित अपनी सिफारिशों/ टिप्पणियों के साथ जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

कार्यस्थल पर महिलाओं से संबंधित शिकायतों को अब उपरोक्त समिति को भेजा जाएगा और समिति शिकायत (यदि कोई हो) प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

यह केवीएस (मुख्यालय) के पत्र दिनांक 05.03.2019 के निर्देशानुसार जारी किया गया है।

निदेशक

वितरण :

- 1. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, बेंगलुरु
- 2. श्रीमती हेमा के, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, बेंगलुरु
- 3. श्रीमती लता बी, प्राचार्या , जेएसएस पब्लिक स्कूल, सिद्धार्थ लेआउट, मैसूर।
- 4. श्री. मिथिलेश कुमार, प्राचार्या , के.वी., BRBNMPL, मैसूर।
- 5. श्रीमती. रेमा रैना, टीए (अर्थशास्त्र)), केवीएस, ZIET मैसूर।
- 6. केविसं, जीट मैसूर के सभी स्टाफ सदस्य।
- 7. श्री डी.के. सिंह, पुस्तकालयाध्यक्ष, केवीएस, जीट मैसूर की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
- 8. सहायक आयुक्त (सतर्कता), केवीएस (मुख्यालय), नई दिल्ली सूचनार्थ ।



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

<u>ಕೇಂದ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಘಟನ್, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, Kendriya Vidyalaya Sangathan</u> ವಲಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, शिक्षा एवं प्रशिक्षण आंचलिक संस्थान, Zonal Institute of Education and Training <u>ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರ, ಮೈಸೂರು, सिद्धार्थ नगर, मैसूर, Siddharthanagar, Mysore-570 011</u> ದೂರವಾಣಿ/ फ़ोन/Phone: 0821/2470345(Dir)/2478578(O) ಇ–ಮೇಲ್/ ई-मेल/E-mail: ziet.mysore@kvs.gov.in, kvszietmysore@gmail.com,

జాల ভাল /বৈৰমাহ্ट/Web Site: <u>https://zietmysore.kvs.gov.in</u>

No.34029/1/23-24/KVS/ZIET/MYS/ICC 1063-1070, (1)

Date: 01.11.2023

<u>ORDER</u>

In compliance to Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ) letter No. F, No. 11-55/2000-KVS(Vig.)/PTI/1122-25 dt. 05.03.2019 and in suppression to previous order (if any exist) and in terms of the guidelines laid under Chapter II Section (4) clause (2) of Sexual Harassment of Women at workplace for Internal Complaints Committee (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013, an Internal Complaints Committee constituting of the following members is hereby constituted at KVS, ZIET, Mysore for redressal of the complaints of the victim women employees of KVS, ZIET, Mysore on account of Sexual Harassment.

S.No	Nomenclature	Name of the Nominated Member	Jurisdiction of the committee
1	Presiding Officer	Smt. Hema K, Assistant	To inquire into the compliant
		Commissioner, KVS, RO, Bangalore	of sexual harassment at work
2	N G O Member	Mrs. Latha B, Principal, JSS Public	place against the officials of
		School, Siddartha Layout, Mysore.	this Office up to the level of
3	Member	Shri. Mithilesh Kumar, Principal, K.V.	Section Officer.
		BRBNMPL, Mysore.	
4	Member	Smt. Rumma Raina, Training	
		Associate (Economics), KVS, ZIET	
		Mysore.	

The Presiding Officer and the Members of the above committee will hold office for a period not exceeding three years from the date of issue of order dated 01.11.2023. The Presiding Officer of the Committee will ensure the following:-

- 1. Coordinate with the NGO member, other members and respective Officer/Staff to fix date and time for conduct of inquiry.
- 2. Co-ordinate with the NGO member and plan and facilitate the tour programme.
- 3. The inquiry will be conducted in terms of guidelines contained in the judgment Dt. 13.08.1997 of the Hon'ble Supreme Court in Vishaka and Others Versus State of Rajasthan & Others and order dated 26.04.2004 passed by the Hon'ble Supreme Court in the case of Medha Kotwal Lale and others Vs Union of India & Others.
- 4. It is mandatory to have one NGO member while investigating the cases of Sexual Harassment of women employees.

Jubru m

- 5. The inquiry into the complaints of sexual harassment at working place is to be conducted strictly as per the procedure and timeline prescribed in the Act and the guidelines issued from time to time by Govt. of India.
- 6. Submission of inquiry Report with specific findings and supporting documents along with her comments / recommendation within a period of one month from the date of such receipt of a complaint.
- 7. The complaints with regard to women at work place will now be referred to the above committee and the committee will submit its report within 10 days from date of receipt of the complaint (if any).
- 8. This issues in accordance with the direction of KVS(HQ) vide letter dated 05.03.2019.

DIRECTOR

Distribution :

- 1. The Deputy Commissioner, KVS,RO, Bangalore.
- 2. Mrs. Hema K, Assistant Commissioner, KVS, RO, Bengaluru.
- 3. Mrs. Latha .B, Principal, JSS Public School, Siddartha Layout, Mysore.
- 4. Shri. Mithilesh Kumar, Principal, K.V. BRBNMPL, Mysore.
- 5. Smt. Rumma Raina, T.A (Economics), KVS, ZIET Mysore.
- 6. All the Staff Members of KVS, ZIET Mysore.
- 7. Shri. D.K. Singh, Librarian to upload it in the Website of KVS, ZIET Mysore.
- 8. The Assistant Commissioner (Vig), KVS(Hq), New Delhi for kind information.